फर्द अहकाम

के० एल० सोनी एण्ड एसोसिएट्स बनाम कमलेश चौधरी

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड़

केस संख्या 162/2023 अपील

स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/9/23	राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली – बहरोड का सृजन किये जाने से पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर/न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर II अलवर से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। पक्षकारान/वकील उभयपक्षकारान को अदालती नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 08/11/23 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड	155 18/10/23
	8/11/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपी० उपस्थित / अनु० पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते...अद्य..... दिनांक.....10.11.24....को पेश है।	
	10/11/24	आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित /अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी आज अवकाश /दौरे/मिटिंग/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक.20.11.24.को पेश हो। अपीलार्थी की ओर से पेश पत्र में यह अंकित किया गया है कि नोटिस तामिल नहीं हुआ है तथा नोटिस तामिल हेतु समय चाहिए रीडर	
	20/11/24	पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। पत्रावली में जिला कलक्टर II अलवर से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर प्रकरण में अपीलार्थी को नोटिस जारी किये जाने पर अपीलार्थी अपील में दर्ज पते पर नहीं पायी गयी है तथा नोटिस तामिल होना प्रकट किया है। अपीलार्थी स्वयं तथा उनके अधिवक्ता भी उपस्थित होकर प्रकरण में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी प्रकरण में रुचि नहीं रखते हैं। अतः प्रकरण में एक हाजरी अंतिम रूप से लगाई जाती है। पत्रावली रेकर्ड होकर दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड	